मत्स्य पालन अपनायें **समृद्धि पायें**

मत्स्य पालक विकास अभिकरण हाथरस द्वारा निम्न लिखित विकासोन्मुखी व जन कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही है जिनका लाभ गरीब ग्रामीणों व मत्स्य पालन के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा उठाया जा सकता है।

1. गॉव सभा तालाबों का पट्टा :–

गॉव सभा तालाबों का मत्स्य पालन हेतु दस वर्षीय पट्टा तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है पट्टा दिलाने में मत्स्य पालक विकास अभिकरण सहयोग करता है। 2.0 हैक्टेयर तक के तालाब सम्बन्धित गॉव सभा क्षेत्र के मछुआ समुदाय तथा दो हेक्टेयर से बड़े तालाब गॉव सभा क्षेत्र की पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को वरीयता के आधार पर पट्टे पर दिये जाने का प्राविधान है। अन्य को भी शासनादेशानुसार निर्धारित वरीयता दी जाती है।

2. तालाब सुधार एवं उत्पादन निवेशों की सुविधा :–

तालाब सुधार कार्य हेतु रू0 60,000/– प्रति हेक्टेयर तथा प्रथम वर्ष के मत्स्य पालन निवेशों (मत्स्य, बीज पूरक आहार, उर्वरक आदि) के लिए रू0 30,000/– प्रति हेक्टेयर तक बैंक ऋण व दोनों पर सामान्य जाति के लाभार्थियों को 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/ अनु0जन जाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है।

3. निजी भूमि पर तालाब निर्माण :–

निजी भूमि पर तालाब निर्माण हेतु प्रति हेक्टेयर रू0 2.0 लाख तक का बैंक ऋण दिलाया जाता है तथा इस पर सामान्य जाति के लाभार्थियों को 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनु0जन जाति के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

4. मत्स्य पालन प्रशिक्षण :–

मत्स्य पालकों/मत्स्य पालन के इच्छुक व्यक्तियों को दस दिवसीय अल्प कालीन प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण अवधि में रू0 एक सौ प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिदिन की दर से प्रशिक्षण–भत्ता दिया जाता है इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि में भ्रमण हेतु एक मुश्त रू0 एक सौ मात्र भ्रमण भत्ता देय है ।

5. तालाबों की मिटटी व पानी की जॉच तथा तकनीकी परामर्शः–

मत्स्य पालकों के तालाबों की मिट्टी–पानी की जॉच मत्स्य विभाग की प्रयोगशलाओं में निःशुल्क की जाती है तथा वैज्ञानिक मत्स्य पालन हेतु तकनीकी परामर्श निःशुल्क दिया जाता है।

6. मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन/पंजीकरण :–

मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के गठन का प्रस्ताव जनपद स्तर पर पूर्ण करवाकर मण्डलीय कार्यालय भेजा जाता है। जहॉ से परीक्षणोंपरान्त पंजीकरण हेतु उ0 प्र0 मत्स्य निदेशालय लखनऊ भेजा जाता है। मत्स्यजीवी सहकारी समितियों का पंजीकरण उ0 प्र0 मत्स्य निदेशालय लखनऊ स्तर पर किया जाता है। पंजीकृत समितियों को जलाशयों/झीलों के पट्टों आदि में बरीयता दिये जाने का प्राविधान है।

7. मछुआ दुर्घटना बीमा योजना :–

योजना वर्ष 1985–86 से क्रियान्वित की जा रही है इस योजना से आच्छादित पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्य की दुर्घटनावश मृत्यु होने की दशा में रू0 50,000/– व अपंग होने की दशा में रू0 25000/– धनराशि दिए जाने का प्राविधान है। बीमा धनराशि का प्रीमियम रू0 14/– प्रति सदस्य है जो 50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

8. मछुआ आवास योजना :–

मछुआ बाहुल्य क्षेत्र में मछुओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना वर्ष 1987–88 से क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार के सहयोग से सीमित मछुआ आवासों के निर्माण हेतु प्रति आवास रू0 25000/– तथा दस अधिक आवासों पर रू0 25000/– की लागत से एक हैण्डपम्प की सुविधा अनुमन्य है।

9. मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण :–

तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के शुद्ध बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितांत आवश्यक है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य नितांत आवश्यक है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों तथा निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की हैचरियों पर किया जा रहा है। मत्स्य पालकों को आक्सीजन पैकिंग में सरकारी दरों पर, तालाब तक शुद्ध मत्स्य बीज की आपूर्ति की जाती है।

10. मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना :–

प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र में 10 मिलियन फ्राई क्षमता वाली मिनी हैचरियों की स्थापना हेतु रू0 8.00 लाख तक का बैंक ऋण तथा 10 प्रतिशत की दर से रू0 80,000/– तक का अनुदान दिया जाता है।

11. समन्वित मत्स्य पालन (इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग)

मछली के साथ–साथ यदि बत्तख, मुर्गी, शूकर आदि का भी पालन किया जाय तो आय में और अधिक वृद्धि सम्भव हो सकती है। समन्वित मत्स्य पालन से सम्बन्धित रू0 80,000/– प्रति हैक्टेयर परियोजना लागत पर सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को 25 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

12. एरेटर की सुविधा :–

मत्स्य उत्पादकता 3000 कि0ग्राम/हैक्टेयर/वर्ष को और अधिक वढ़ाने हेतु एरेटर के लिए, एक हैक्टेयर जल क्षेत्र के लिए रू0 50,000 प्रति यूनिट (एक हार्स पावर के दो एरेटर/एक पॉच हार्स पावर का डीजल पम्प) की वित्तीय सहायता (ऋण के रूप में) अनुमन्य है जिस पर सभी मत्स्य पालकों को 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 12,500/– का शासकीय अनुदान अनुमन्य है।

13. फीड मिल की स्थापना :–

निजी क्षेत्र में फिश फीड यूनिट के भवन, मशीनरी एवं साज सज्जा हेतु रू0 25.00 लाख प्रति युनिट की दर से बैकों से ऋण दिलाया जाता है। जिस पर 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 5.00 लाख अनुदान देय है।

14. सघन मत्स्य पालन हेतु यूनिटों की स्थापना :–

सघन मत्स्य पालन हेतु यूनिटों की स्थापना (जिनमें आर्नामेंटल मछलियों हेतु हैचारियॉ शामिल हैं) जिसकी क्षमता 5–10 मिलियन फ्राई की हो, के निर्माण हेतु 15.00 लाख प्रति यूनिट की दर से ऋण सुविधा दिलाई जाती है तथा इस पर 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 1.5 लाख शासकीय अनुदान अनुमन्य है।

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
विवेकानन्द नगर (सरस्वती शिशु मन्दिर के पास)
अलीगढ़ रोड़, हाथरस ।